भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं.104

03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यान्वयन

***104. डॉ. नामदेव किरसान:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और अन्य कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं से अब तक लाभान्वित हुए किसानों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का कार्यान्वयन के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 104 के भाग (क) से (ग) के संबंध में विवरण।

(क) एवं (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे फरवरी 2019 में माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के देश भर के सभी किसानों तक पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से लेकर अब तक 18 किस्तों में किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। पीएम-किसान योजना के तहत लाभार्थियों का किस्तवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

विभिन्न अन्य कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग): भारत सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण इस प्रकार है:-

(i) भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने वास्तविक कपास किसानों को एमएसपी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मौके पर ही आधार-आधारित किसान पंजीकरण लागू किया है। कपास किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, एक ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली शुरू की गई है, जो भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए खरीद केंद्र से शाखा तक बिलों को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान करती है। भुगतान आमतौर पर नेशनल पेमेंट्स कार्पोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) के नेशनल आटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से सीधे कपास किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में 3 से 5 दिनों के भीतर किया जाता है।

(ii) अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा के मामले में, खरीद एजेंसी को वास्तविक डिलीवरी के तीन दिनों के भीतर आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किसानों के व्यक्तिगत बैंक खाते में भुगतान रिलीज किया जाता है। इसके अलावा, खरीद एजेंसी यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान सीधे पंजीकरण के समय दिए गए किसान के बैंक खाते में किया गया है। एक बैंक खाते का उपयोग केवल एक किसान के लिए किया जा सकता है।

(iii) एमएसपी नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। भारत सरकार ने धान/गेहूं की खरीद के लिए खरीद करने वाले राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि किसानों से खाद्यान्न की खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है। समझौता ज्ञापन में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि "एमएसपी और बोनस का भुगतान, यदि कोई हो, सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से, अधिमानतः धान/गेहूं की खरीद के 48 घंटों के भीतर" सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाना है। किसानों से खाद्यान्न की पूरी खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है और एमएसपी का

ऑनलाइन भुगतान भी सीधे किसानों के खाते में किया जाता है। एमएसपी में डीबीटी ने प्रणाली में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी को मजबूत किया है।

देश के किसान बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के सफल कार्यान्वयन से लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान कुल 3 करोड़ 20 लाख किसानों को 5.10 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

लो.स.ता.प्र.सं.104

अनुबंध-I

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की संख्या, किस्तवार

क्र.सं.	किस्त अवधि	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रूपए करोड़ में)
1	दिसंबर, 2018 - मार्च, 2019	3,16,19,876	6,323.98
2	अप्रैल, 2019 - जुलाई, 2019	6,00,34,451	13,271.93
3	अगस्त, 2019 - नवंबर, 2019	7,65,99,700	17,526.86
4	दिसंबर, 2019- मार्च, 2020	8,20,90,050	17,942.66
5	अप्रैल, 2020- जुलाई, 2020	9,26,93,619	20,989.37
6	अगस्त, 2020- नवंबर, 2020	9,72,25,907	20,475.94
7	दिसंबर, 2020- मार्च, 2021	9,84,73,258	20,474.54
8	अप्रैल, 2021- जुलाई, 2021	9,99,10,514	22,413.21
9	अगस्त, 2021- नवंबर, 2021	10,34,41,242	22,394.51
10	दिसंबर, 2021- मार्च, 2022	10,41,66,702	22,342.93
11	अप्रैल, 2022 - जुलाई, 2022	10,48,38,981	22,616.31
12	अगस्त, 2022 - नवंबर, 2022	8,57,30,472	18,039.81
13	दिसंबर, 2022 - मार्च, 2023	8,12,34,383	17,649.42
14	अप्रैल, 2023 - जुलाई, 2023	8,56,76,569	19,202.49
15	अगस्त, 2023 - नवंबर, 2023	8,12,16,250	19,596.60
16	दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	9,04,27,479	23,087.44
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	9,37,67,395	21,029.96
18	अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	9,58,97,635	20,657.36

लो.स.ता.प्र.सं.104
अनुबंध-II

विभिन्न कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	योजना का नाम	उद्देश्य
I.	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना	
1.	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएमकेएमवाई), 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपए का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन है। योजना में किसानों के प्रवेश की आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में समान अंशदान प्रदान करती है। योजना में अब तक, 24.66 लाख किसान पंजीकृत हुये है।
2.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को 2016 में शुरू किया गया था, ताकि किसानों को बुवाई से पहले से कटाई के बाद तक फसलों के लिए सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिमों के खिलाफ व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने और पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए एक सरल और सस्ती फसल बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। वर्ष 2016-17 से इस योजना के तहत कुल 68.85 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया और दावे के रूप में 1,65,966 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।
3.	संशोधित ब्याज सब्वेन्शन योजना (आईएसएस)	ब्याज सब्वेन्शन योजना (आईएसएस) फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों में लगे किसानों को रियायती अल्पावधि कृषि ऋण प्रदान करती है। आईएसएस उन किसानों के लिए उपलब्ध है जो एक वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण का लाभ उठाते हैं। किसानों को ऋण का शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान करने पर अतिरिक्त 3% की छूट भी दी जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घटकर 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएसएस का लाभ किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) रखने वाले छोटे और सीमांत किसानों को फसल कटाई के बाद छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए नेगोसिएबल वेयर हाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) के विरुद्ध फसल ऋण के लिए भी उपलब्ध है, जो प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उपलब्ध है। कृषि का संस्थागत ऋण प्रवाह 2014-15 से लगभग तीन गुना बढ़कर 8.5 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है। संस्थागत स्रोत से अल्पकालिक कृषि ऋण प्राप्त करने में किसानों की

		मदद करने के लिए आसान और रियायती फसल ऋण का वितरण 2014-15 से दो गुना से अधिक बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये से 2023-24 में 15.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है। केसीसी के माध्यम से किसानों को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी 2014-15 से 2.4 गुना बढ़कर 6000 करोड़ रुपये से 2023-24 में 14252 करोड़ रुपये हो गई है।
4.	एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना, पूरे भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तपोषित करके स्थायी कृषि का समर्थन करती है। 2 करोड़ तक के ऋण पर 9% की अधिकतम ब्याज दर, 3% वार्षिक ब्याज छूट और सात वर्षों तक क्रेडिट गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा है, जिससे लाभार्थियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होती है। दिनांक 24.11.2024 तक, एआईएफ के तहत 84,333 परियोजनाओं के लिए 51,448 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
5.	नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन	भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) शुरू की। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है। एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए एफपीओ को बनाने और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) को शामिल करते हैं। अब तक इस योजना के तहत कुल 9204 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।
6.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास तथा "मीठी क्रांति" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी। मधुमक्खी पालकों/शहद समितियों/फर्मों/कंपनियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मधुक्रांति पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर लगभग 14,822 मधुमक्खी पालकों/मधुमक्खी पालन और शहद समितियों/फर्मों/कंपनियों के साथ 23 लाख मधुमक्खी कॉलोनियाँ पंजीकृत हैं।
7.	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) लागू करता है। कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) जो प्राकृतिक रूप से शीघ्र खराब होने वाली हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आती हैं। हस्तक्षेप का

		उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में संकटपूर्ण बिक्री से बचाना है, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।
8.	नमो ड्रोन दीदी	सरकार ने हाल ही में 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उद्देश्य (उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग) के लिए किसानों को किराये की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन और सहायक उपकरण/सहायक शुल्क की लागत का 80% (अधिकतम 8.0 लाख रुपये तक) केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब तक किसान ड्रोन प्रोत्साहन के लिए 141.41 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
	केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
9.	प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) एक केंद्र प्रायोजित (राज्य योजना) योजना है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक (एसएलएससी) में मंजूर परियोजनाओं के आधार पर राज्य सरकारों को सब्वेन्शन के रूप में धनराशि जारी की जाती है।
10.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिश करता है। संकेतक आमतौर पर किसानों के व्यावहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। मृदा उर्वरता मानचित्र विकसित करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान पूरे देश में 5 करोड़ मृदा नमूने लेने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023-24 में किसानों को 36.61 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
11.	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	आरएडी को 2014-15 से क्रियान्वित किया जा रहा है। आरएडी एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर मोड में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो बहु-फसल, चक्रीय फसल, अंतर-फसल, मिश्रित फसल पद्धतियों के साथ-साथ बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि रिटर्न को अधिकतम कर सकें, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। वर्ष 2014-15 से अब तक 1859.4 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है तथा 7.80 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को आरएडी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
12.	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए, प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना 2015-16 के दौरान शुरू की गई

		थी। सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत के साथ-साथ उर्वरक के उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद मिलती है। शुरुआत से लेकर अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत 94.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और केंद्रीय सहायता के तहत 21640.07 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
13.	सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ)	नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने के लिए संसाधन जुटाने में राज्यों की सहायता करना है। वित्तपोषण व्यवस्था के तहत, नाबार्ड राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बाजार से नाबार्ड द्वारा जुटाए गए कोष की लागत से 3% कम ब्याज दर पर ऋण देता है। एमआईएफ के तहत ऋण पर ब्याज सहायता पीडीएमसी के तहत केंद्र द्वारा वहन की जाती है। अब तक एमआईएफ के तहत 4724.74 करोड़ रुपये के ऋण वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राज्यों को 3387.80 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।
14.	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है और इस प्रकार कृषि-रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करना है। यह योजना 20 हेक्टेयर के यूनिट क्लस्टर आकार के साथ क्लस्टर मोड में कार्यान्वित की जाती है। एक समूह में कम से कम 20 किसान शामिल होंगे (यदि व्यक्तिगत जोत कम है तो अधिक हो सकते हैं)। पीकेवीवाई के प्रावधान के अनुसार एक समूह में किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर का लाभ उठा सकते हैं। पीकेवीवाई योजना के तहत 42,738 क्लस्टर (20 हेक्टेयर प्रत्येक) बनाए गए, 10.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया (एलएसी सहित)। 2015-16 से कुल निधि 2168.63 करोड़ रुपये जारी की गई (05.11.2024 तक)
15.	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)	कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम) अप्रैल, 2014 से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत में कृषि मशीनीकरण के त्वरित किन्तु समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों तथा उन क्षेत्रों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाना है जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है, छोटे जोत वाले किसानों तथा व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण होने वाले पैमाने की प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई के लिए 'कस्टम हायरिंग केंद्रों' को बढ़ावा देना, उच्च तकनीक एवं उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाना, प्रदर्शन एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा देश भर में स्थित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण एवं प्रमाणन सुनिश्चित करना है। एसएमएएम की स्थापना के बाद से विभिन्न राज्यों को 7854.97 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। राज्यों ने व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर किसानों को 18.91 लाख से अधिक मशीनें एवं उपकरण आपूर्ति किए हैं तथा विभिन्न राज्यों में 50198 से अधिक सीएचसी/हाई-टेक हब/एफएमबी स्थापित किए गए हैं।

16.	कृषि वानिकी	कृषि वानिकी की परिकल्पना राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की संस्तुति पर की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। आरकेवीवाई के तहत पुनर्गठित कृषि वानिकी का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार के लिए कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (क्यूपीएम) और प्रमाणन प्रदान करना है।
17.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख) के चिन्हित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्थायी तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाजों (मक्का और जौ) और पोषक अनाजों (श्री अन्न) का उत्पादन बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से किसानों को उन्नत पद्धतियों पर क्लस्टर प्रदर्शन, फसल प्रणाली पर प्रदर्शन, अधिक उपज देने वाली किस्मों (एचवाईवी)/हाईब्रिड के बीजों का वितरण, उन्नत कृषि मशीनरी/संसाधन संरक्षण मशीनरी/उपकरण, कुशल जल अनुप्रयोग उपकरण, पौध संरक्षण उपाय, पोषक तत्व प्रबंधन/मृदा सुधारक, प्रसंस्करण और कटाई के बाद के उपकरण, किसानों को फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण आदि जैसे हस्तक्षेपों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैक स्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए भी सहायता प्रदान करता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 297.50 मिलियन टन (2019-20) से बढ़कर 332.30 मिलियन टन (2023-24) हो गया है और उत्पादकता 2343 किलोग्राम/हेक्टेयर (2019-20) से बढ़कर 2515 किलोग्राम/हेक्टेयर (2023-24) हो गई है।
18.	बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	एसएमएसपी बीज उत्पादन श्रृंखला के पूरे दायरे को कवर करता है, न्यूक्लियस बीज के उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति तक, बीज क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करना, सार्वजनिक बीज उत्पादक संगठनों को उनकी क्षमता और बीज उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समर्थन देना, प्राकृतिक आपदाओं की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्पित बीज बैंक बनाना आदि। न्यूक्लियस-ब्रीडर-फाउंडेशन-प्रमाणित बीज से बीज श्रृंखला को कवर करने वाली प्रभावी निगरानी, दक्षता और पारदर्शिता के लिए, बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी और होलिस्टिक इन्वेंटरी (एसएटीएचआई) पोर्टल का पहला चरण 19 अप्रैल, 2023 को शुरू किया गया था। एसएमएसपी को अब एनएफएसएम में मिला दिया गया है। 28.11.2024 तक वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कुल राशि 875.14 करोड़ रुपए (बीज ग्राम कार्यक्रम सहित) रिलीज किए गए हैं।
19.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल	भारत सरकार ने 2021 में इसे एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रारम्भ किया है। इसका उद्देश्य देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर

	पाम	बनाना है। इसका खास ध्यान पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। इस मिशन के तहत 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर के साथ 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ऑयल पाम के रोपण के अंतर्गत लाया जाएगा।
20.	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केन्द्र प्रायोजित योजना 2014-15 के दौरान फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस आदि को कवर करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू की गई थी। एमआईडीएच के तहत 2014-15 से 2023-24 तक (01.10.2024 तक) 13.96 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की पहचान की गई बागवानी फसलों को कवर किया गया है, गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए 908 नर्सरियां स्थापित की गई हैं, 1.52 लाख हेक्टेयर पुराने और जीर्ण बागों का कायाकल्प किया गया है, 52459 हेक्टेयर को जैविक पद्धतियों के तहत कवर किया गया है और 3.08 लाख हेक्टेयर को संरक्षित खेती के तहत कवर किया गया है।
21.	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	यह योजना राज्य बांस मिशन (एसबीएम)/राज्य बांस विकास एजेंसी (एसबीडीए) के माध्यम से 23 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू-कश्मीर) में कार्यान्वित की जा रही है। एनबीएम मुख्य रूप से बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें क्लस्टर दृष्टिकोण मोड के साथ उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। एनबीएम के तहत 404 बांस नर्सरी स्थापित की गई हैं, गैर-वन सरकारी और निजी भूमि पर 58981 हेक्टेयर बांस के बागान स्थापित किए गए हैं, 104 बांस उपचार और संरक्षण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, उत्पाद विकास और प्रसंस्करण इकाइयों की 516 इकाइयाँ और किसानों, कारीगरों और उद्यमियों सहित 23,708 व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण किया गया है। एनबीएम का अब एमआईडीएच में विलय हो गया है।
22.	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)	आईएसएएम राज्य सरकारों को बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुँच बनाने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में सहायता करता है। 2017-18 के दौरान, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना जिसे ई-एनएएम योजना के रूप में जाना जाता है, को भी इसका हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी मंडियों को नेटवर्क करता है। 23 राज्यों और 04 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है और 1.78 करोड़ से अधिक किसान और 2.62 लाख व्यापारी ई-एनएएम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन	एमओवीसीडीएनईआर का उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु-विशिष्ट, संकेंद्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना

		है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके और इनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रहण, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन किया जा सके। 2015-16 से (05.11.2024 तक), 1217.41 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, 189039 किसानों और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 379 एफपीओ/एफपीसी बनाए गए हैं।
24.	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	मई, 2005 में एक केंद्र प्रायोजित योजना 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को समर्थन' शुरू की गई थी, जिसे एटीएमए योजना के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में, यह योजना 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 739 जिलों में लागू की जा रही है। यह योजना देश में विकेंद्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को सब्वेन्शन सहायता जारी की जाती है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकों और अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का समर्थन करना है। शुरुआत से अर्थात 2005-06 से लेकर अब तक, एटीएमए योजना के तहत की गई विभिन्न विस्तार गतिविधियों के माध्यम से 7.04 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं
25.	डिजिटल कृषि	इस योजना का उद्देश्य कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके कृषि में मौजूदा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपीए) में सुधार करना है, जिसे एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालन योग्य सार्वजनिक वस्तु के रूप में बनाया जाएगा, ताकि फसल नियोजन और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि इनपुट, ऋण और बीमा तक बेहतर पहुंच, फसल आकलन में सहायता, बाजार की जानकारी और कृषि तकनीक उद्योग और स्टार्ट-अप के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान सक्षम हो सकें। एग्रीस्टैक आर्किटेक्चर में निम्नलिखित आधारभूत परतें हैं: - • कोर रजिस्ट्री • बेस डेटाबेस • किसान डेटाबेस: भूमि रिकॉर्ड से जुड़े किसान आईडी • भूखंडों का भू-संदर्भ • फसल सर्वेक्षण, फसल योजना और • मृदा मानचित्रण, मृदा उर्वरता • राज्य, निजी प्लेयर्स के लिए एकीकृत किसान सेवा इंटरफ़ेस • डेटा एक्सचेंज

*****